

393  
5:20 PM


उत्तराखण्ड शासन  
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग  
संख्या- 2/1/XXI/2014 सी.एक्स.  
देहरादून, दिनांक 19 मार्च, 2016

अधिसूचना  
विविध

उत्तराखण्ड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर श्री हरक सिंह रावत, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, उद्यान, रेशम विकास, सैनिक कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वर्षा जल संग्रहण, पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को एतद्वारा उत्तराखण्ड मंत्रिमण्डल की सदस्यता से पदमुक्त करते हैं।

2. श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर यह भी आदेश दिये हैं कि श्री हरक सिंह रावत को आवंटित विभाग/विषय अग्रिम आदेशों तक, मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे और समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं 15 मई, 2014, 19 मई, 2014, 18 फरवरी, 2015 एवं 06 अक्टूबर, 2015 तदनुसार संशोधित समझी जायेंगी।

आज्ञा से

  
(शत्रुघ्न सिंह)  
मुख्य सचिव।

संख्या-2/1/XXI/2014 सी.एक्स. तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, समस्त मा0 सभा सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

DV-799 0007 21/3/2016



11. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
14. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
15. वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

  
(डॉ. एम. सी. जोशी)  
सचिव।